न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 18/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जसराज पुत्र रामाजी जाति प्रजापत,निवासी बादनवाडी, तहसील आहोर,जिला जालोर		1.ग्राम पंचायत जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी,बादनवाडी, पंचायत समिति जालोर 2.रामा पुत्र हासाजी,प्रजापत, निवासी बादनवाडी, पंचायत समिति जालोर 3.भरतकुमार पुत्र पूनमाराम, प्रजापत,निवासी बादनवाडी, तहसील आहोर, पंचायत समिति जालोर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बादनवाडी ,दिनांक–(पट्टा)

उपस्थितिः–
1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2.श्री नवीनकुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं.2,3की ओर से।
3,अप्रार्थी सं.1 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक 31.12.2019

1. प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बादनवाडी की बैठक दिनांक .15.4.72 में प्रस्ताव सं.1 के द्वारा पट्टा बनाया गया । वास्तव में ग्राम पंचायत की इस तारीख को न तो बैठक हुई और न प्रस्ताव लिया गया और न ही ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन या पत्रावली ही अप्रार्थी सं.2 के नाम पेश हुई, सीधा पट्टा ही जारी किया गया है , पट्टे में 115/–रूपये अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायत कोष में जमा कराना बताया है जबकि ऐसी कोई रसीद अप्रार्थी सं.2 के पास नही है,न ही रसीद पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है,अन्य रैकार्ड,प्रस्ताव,पत्रावली , मूल आवेदन पत्र पंचायत में नहीं है, ऐसा ग्राम पंचायत ने लिखित में दिया है,

पट्टे व प्रस्ताव से असंतुष्ठ होकर यह निगरानीपेश की है, इस प्लोट में हमारी निर्माण सामग्री फैक्ट्रियों के पत्थर 4 ट्रोली, सूखी लकडिया(ढूढा)सएक ट्रोली,ईटो के टुकडे आधी ट्रोली,लोहे की इगलैण्ड नग 2, निलगिरी (लकडी) की गणी नग एक, लोहे के नालीदार पतरे नग 4, प्रार्थी द्वारा डलवाये हुए पडे है, प्रार्थी ने कब्जे के आधार पर कार्यवाही की है, ग्राम पंचायत को आवासीय पट्टा उन मामलों में जारी करने का अधिकार है जिनमें पुश्तैनी हक के आधार पर हक बनता है, इस प्रकरण में पट्टा जारी किया है ,वह पुश्तैनी हक के आधार पर जारी नहीं किया है, पुश्तैनी हक सबंधी कोई सबूत पट्टा जारी करते समय पंचायत के पास नही थे, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की कार्यवाही विधि के अनुकूल नही होने से प्रस्ताव व पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निलामी की प्रकिया की पालना किये बिना,प्रस्ताव पारित किये बिना, निलामी बोली राशि जमा किये बिना, उच्चाधिकारियों से निलामी की स्वीकृति लिये बिना पट्टा जारी किया है जो नियमों के अनुकूल नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।पट्टा धारक का कब्जा पिछले 18 वर्षो से इस पूरे प्लॉट पर नही रहा, वास्तविक कब्जा इस प्लॉट पर पिछले 18 वर्षो से प्रार्थी का ही है, फैक्टिरी के खण्डे व शेष सामग्री प्रार्थी ने डलवाई है जो मौके पर पडी है, पट्टाधारक ने उक्त पूरा प्लॉट पट्टे के आधार पर बैचान अप्रार्थी सं.3 को कर दिया है जबकि उसका तथा बैचानकर्ता का पिछले 18वर्षो से वास्तवित कब्जा नही था , न है,केवल बैचान के आधार पर खरीददार को पक्षकार बनाया है। दिनांक 29.10.18 को प्रार्थी ने पट्टे व सम्पूर्ण पत्रावली ,प्रस्ताव की नकल मांगी लेकिन दिनांक 29.10.18 को केवल पट्टे की नकल दी , इसके अलावा दोनो नकले नहीं दी,तब प्रार्थी ने उसी दिन शेष नकलों की प्रमाणित प्रति मांगने पर ग्राम पंचायत बादनवाडी ने मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति पर असल नोट अंकित कर बताया कि पंचायत में पट्टे से सबंधित जो भी सूचना है, वह उपलब्ध करवा दी है, जो निगरानी के साथ पेश किया है, इस प्रकार आवेदन पत्र की नकल प्रार्थी को दिनांक 12.11.18 को उपलब्ध करवाई तब प्रार्थी को पूर्णरूप से जानकारी हुई कि पंचायत में पट्टे सबंधी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, इस आधार पर निगरानी प्रार्थनापत्र , जानकारी की तारीख से अन्दर म्याद है,अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम पचायत की बैठक दिनांक 15.4.72 में प्रस्ताव सं. 1 ,पट्टा सं. 43 रामा पुत्र हांसाजी के नाम जारी किया गया है, निरस्त किया जावे।और यदि उक्त बैठक में इस पट्टे सबंधी प्रस्ताव लिया जाना साबित होवे तो उसे भी निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र ,शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की , इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

प्रार्थी ने दिनांक 27.11.18 को प्रार्थनापत्र बाबत् अप्रार्थी सं. 1 से मौका रिपोर्ट मंगवाने पेश किया, जिस पर अप्रार्थी सं.1 व 2 के वकील ने कोई जवाब पेश नही किया, दरख्वास्त बहस सुनी गई ,इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित नही है, प्रार्थी चाहे तो इस बाबत् दस्तावेजी सबूत पेश कर सकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

2. ग्राम विकास अधिकारी ,पंचायत समिति बादनवाडी ने पत्र कमांकःग्रापबा /2019/21 दिनांक 10.12.2019 से बताया कि पट्टे के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत बादनवाडी में उपलब्ध नही है।

3. अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से दिनांक 28.2.19 को जवाब पेश किया कि अप्रार्थी रामा पुत्र होसाजी ने ग्राम पंचायत बादनवाडी की आबादी भूमि का विकय विलेख (आवासीय भूमि का पट्टा)ग्राम पंचायत को निलामी शुल्क अदा करके उक्त भूखण्ड खरीद किया था, जिसकी बैठक ग्राम पंचायत में दिनांक 15.04.72 को प्रस्ताव सं.1 पारित किया,अप्रार्थी रामा ने पट्टे की राशि115/–रू.ग्राम पंचायत बादनवाडी जमा करवायी थी तथा पट्टा अप्रार्थी रामा के पक्ष में जारी किया गया था, रामा ने अपनी स्वअर्जित सम्पति वाला भूखण्ड जरिये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 9.10.2018 को अप्रार्थी सं. 3 भरतकुमार को बैचान कर दिया जिसकी प्रतिफल की राशि 4,30,000/–रू. है, उक्त बैचान रजिस्ट्री में अप्रार्थी रामा के पुत्र खेताराम व जोगाराम की साक्षी है तथ प्रार्थी जसराज की सहमति थी, उक्त बैचान रजिस्ट्री आज भी प्रभावी है, इसलिए पंचायत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज करावे। उक्त पंचायत निगरानी प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर है, उक्त भूखण्ड रामाजी ने बैचान वदल की रकम देकर खरीदा था जो रामाजी की स्वअर्जित आराजी है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत बादनवाडी द्वारा विधिवत् प्रकिया द्वारा जारी किया गया है, उक्त भूखण्ड में निर्माण सामग्री भी अप्रार्थी भरतकुमार की पडी है, मौके पर आज भी भरतकुमार का कब्जा है, उक्त पट्टासुद भूखण्ड पर अप्रार्थी रामाजी का वर्ष 1972 से कब्जा है तथा बैचान रजिस्ट्री दिनांक 9.10.2018 से अप्रार्थी भरतकुमार का कब्जा है, भरतकुमार के हक में बैचान रजिस्ट्री निष्पादित हो चुकी है जो आज भी प्रभावी है,प्रार्थी ने निगरानी म्याद बाहर पेश की है, पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में थी, बैचान रजिस्ट्री को शून्य व शून्यकरणीय का अधिकार सिविल न्यायालय को होता है, अगर प्रार्थी उक्त सम्पति पर कार्यवाही करना चाहे तो केवल सिविल वाद जरिए कार्यवाही कर सकता है,अतः प्रार्थी की निगरानी मय खर्चा खरिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई, प्रार्थी के वकील ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि निगरानी ग्रस्त पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख जो बैचान की गई भूमि खरीदी है, उसका विक्रय विलेख जारी करना बताया है उस विक्रय विलेख में तारीख ,माह व वर्ष के कॉलम रिक्त है यानि व्रिकय विलेख जारी करने की तारीख अंकित नहीं है,कब जारी हुआ है, विक्रय विलेख के सन्दर्भ में निलामी में अधिकतम बोली 115/–रूपये की अप्रार्थी सं.2 के नाम रही होना बताया है लेकिन निलामी की कार्यवाही कॉनसी तारीख, कौन से माह व कौन से वर्ष में की गई, उसका उल्लेख नही है तथा निलामी बोली में किन किन खरीददारों ने बोली लगाई, निलामी बोलीकर्ता के नाम पते नहीं है, अंतिम बोली अप्रार्थी सं. 2 के नाम आई हो,उसका भी उल्लेख नही, यानि निलामी प्रकिया अपनाने बाबत् ग्राम पंचायत ने कोई पत्रावली वगैराह पेश नही की है, तथा न ही ग्राम पंचायत ने इस प्रकरण में अपना जवाब ही पेश किया है, ग्राम पंचायत बावजूद तामील जानबूझकर गैर हाजिर रहे है तथा प्रस्ताव सं.1 दिनांक 15.4.72 का पटटे में अवश्य इन्द्राज है लेकिन प्रस्ताव रजिस्टर ग्राम पंचायत ने जानबूझकर पेश ही नही किया , यानि ऐसा प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने पारित ही नहीं किया, इस सन्दर्भ में निगरानीकर्ता प्रार्थी ने दिनांक 22.10.2018 को प्रस्ताव सं. 1 बैठक दिनांक 15.4.72 प्रस्ताव की नकल ,व सम्पूर्ण पत्रावली की नकल ,निलामी प्रकिया की नकल मांगी , ग्राम पंचायत ने नहीं दी,इसके बाद पुनः दिनांक 29.10.2018 को पुनः नकल फार्म पेश किया तो केवल विक्रय विलेख ही पंचायत से नकल दी गई,शेष रैकार्ड की नकल पंचायत में न होने के कारण नहीं दी गई, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल फार्म के उपर ग्राम विकास अधिकारी ने यह अंकित किया कि पंचायत में पट्टे से सबंधित जो भी सूचना है, वह उपलब्ध्ध करा दी हैं,इसका अर्थ यह हुआ कि पंचायत में निलामी संबंधी व प्रस्ताव लेने सबंधी कोई रैकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्धनही है, इस आधार पर निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार पट्टा खारिज करने योग्य है।

इसी भूखण्ड का अन्य पटटा इसी नाम से ग्राम पंचायत कोर्ट के प्राफोर्मा में तथा इसी भूमि का दूसरा विक्रय विलेख जारी यह जारी हुआ है, इस प्रकार एक ही भूमि दो अलग–अलग प्रोफोर्मा में पट्टे जारी किये है। निलामी प्रकिया के प्रावधान राज. पंचायत नियम 1961 नियम 264 के तहत् निलामी के बाद नियम 265(1)–.सबसे उची बोली मंजूरी पंचायत उप नियम 3के अधीन निर्धारित द्वारा पुष्टि की जाने के बाद की जायेगी,नियम 265(2)के तहत्1000/–रू से कम उच्चतम बोली है,निलाम की तारीख से 3 दिन के अन्दर सबंधित सब डिविजनल ऑफिसर के पास स्वीकृति के लिए भेजी जायेगी तथा एक माह में निलाम की गई राशि पर आपत्ति प्राप्त न होने के

बाद निलाम को अंतिम रूप देने के लिए कार्यवाही शुरू करेगा।, उपरोक्त प्रकिया का पालन नहीं किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा निलामी नही की गई फिर भी यदि मान लिया जावे कि निलामी की है तो निलामी की पुष्टि उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं की गई है, ऐसी स्थिति मं निलामी के अभाव में निलामी निरस्त की जाने योग्य है।

मौके पर प्रार्थी का कब्जा 18 सालो से लगातार रहा है,प्रार्थी का सामान भी अन्दर पडा है जो आज भी मौजूद है,प्रार्थी का कब्जा है, प्रार्थी बीपीएल गरीब है,18 साल पूर्व यह प्लोट रिक्त पडा था ,पट्टाधारक का कब्जा नही था, ग्राम पंचायत द्वारा निलामी के बाद पट्टाधारक को कब्जा दिया हो ऐसा कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है जिससे माना जा सके कि पट्टा धारक का कब्जा है, कब्जा न होने के कारण ,पट्टा धारक ओने पौने दाम में बिना कब्जे की जमीन अप्रार्थी सं.3 को बैचान की है,उसका भी कब्जा नही है, इस निगरानी में बैचान नामा निरस्त करने का अनुतोष नही है, केवल पट्टा निरस्त करने का ही अनुतोष है,पट्टा भी उप पंजीयक आहोर में पंजीबद्ध नही है, निगरानी कर्ता आवेदक ने जबरन कब्जें में प्रवेश करने का प्रयास कर प्रार्थी का सामान चुराने बाबत् प्रार्थी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ,पुलिस थाना आहोर में दर्ज करवाई जिससे भी यह साबित है कि प्रार्थी ही कब्जे में हैं अकेले सरपंच जो भूतपूर्व जागीरदार था उसने अपने स्तर पर ही पटटा–बुक में अप्रार्थी सं.2 के नाम पट्टा बनाकर दिया है, ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व कोई प्रस्ताव ही लिया जाना साबित नही है,, ग्राम पंचायत को प्रस्ताव पारित होने के बाद ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, अकेले सरपंच को अपने स्तर पर पट्टा जारी करने का अधिकार नही ,इस प्रकरण में अकेले सरपंच ने ही पटटा जारी किया है जो बिना अधिकार क्षैत्र का होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.2,3 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी सं.2–रामाजी ने रकम देकर खरीदा था जो रामाजी की स्वअर्जित आराजी है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत बादनवाडी द्वारा विधिवत् प्रकिया द्वारा जारी किया गया हैं, उक्त भूखण्ड का बैचान अप्रार्थी सं.2–रामाजी द्वारा अप्रार्थी सं.3–भरतकुमार का किया गया है जो आज भी प्रभावी है,बैचान रजिस्ट्री को शून्य व शून्यकरणीय का अधिकार सिविल न्यायालय को है,अगर प्रार्थी उक्त सम्पति पर कार्यवाही करना चाहे तो केवल सिविल वाद जरिए कार्यवाही कर सकता है, पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में थी,जिससे प्रार्थी ने यह निगरानी म्याद बाहर पेश की है, अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावे।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अंकित पट्टा सं. 43 ग्राम पंचायत

बादनवाडी द्वारा दिनांक 15.4.72 को राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 तथा राजस्थान पंचायत(सामान्य) नियम 1961 के तहत् जरिये निलामी भूमि विक्रय कर जारी किया गया। उक्त पट्टे को 2018 में यानि 46 वर्ष बाद प्रार्थी द्वारा चुनौति दी गई है।

उक्त पट्टे की भूमि का विक्रय पत्र पट्टेदार अप्रार्थी सं. 2-रामाराम पुत्र होसाजी द्वारा अप्रार्थी सं.3-भरतकुमार के पक्ष में दिनांक 9.10.18 को पंजीबद्ध किया। उक्त विक्रय लेखपत्र पर निष्पादक-रामाराम के दोनो पुत्र खेताराम पुत्र रामाजी तथा जोगाराम पुत्र रामाजी के साक्षीगण के रूप में हस्ताक्षर कर, इस निष्पादक के अन्य पुत्र जसराज पुत्र रामा(प्रार्थी) द्वारा उक्त पट्टे को चुनौति दी गई है।

उक्त पट्टे को इस आधार पर चुनौति दी गयी हैं कि पिछले 18 वर्ष से भूमि पर पट्टाधारक रामा पुत्र हासाजी का कब्जा नही रहा तथा वास्तव में कब्जा प्रार्थी का ही है।

पट्टा जारी करने बाबत् प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई विधिक अनियमितता नही बताई है जिसके आधार पर पट्टा खारिज किया जा सके। अगर प्रार्थी का कब्जा इस प्लॉट पर 18 वर्षो से है तो वह एडवर्स पजेशन के आधार पर सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य है।

आदेश

ग्राम पंचायत बादनवाडी द्वारा अप्रार्थी सं.2-रामा के पक्ष में जारी पट्टा-- दिनांक--(प्रस्ताव सं. 1दिनांक 15.4.72के अनुसरण में),के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.06 17:13:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: